

**प्रधान मंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत केन्द्र परिवर्तित माईक्रोइरिगेशन
(Per Drop more corp) योजना:-**

- I. योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्ता को बढ़ाना।
- II. यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- III. योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह राज्य माईक्रो इरीगेशन समिति द्वारा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकते हैं। योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम 0.2 हेक्टेयर एवं अधिकतम 5 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है।

योजना में अनुदान सहायता राशि दिये जाने हेतु ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की कुल लागत पर निम्नानुसार अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना करने पर कुल लागत का निम्नानुसार प्रतिशत में अनुदान देने का प्रावधान है:-

क्र	कृषक श्रेणी	वर्ग	अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में				कुल अनुदान
			केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	योग	टॉप-अप राज्यांश	
1	लघु/सीमांत	अ.जा./अ.ज.जा.	33	22	55	10	65
2	लघु/सीमांत	सामान्य	33	22	55	05	60
3	बड़े कृषक	अ.जा./अ.ज.जा. /सा.	27	18	45	10	55

(रकबा, हेक्टेयर, राशि लाख में)

क्र	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	आवंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राही
1	2014-15	29795.00	24083.66	10155.62	11362.45	18285
2	2015-16	55357.75	57132.54	23379.89	20294.21	41922
3	2016-17	53749.00	41881.70	20544.00	24303.41	35732
4	2017-18	78227.41	33538.21	30000.00	20410.52	24907
5	2018-19	40750.38	35062.61	14792.00	11284.57	26093